Original Copy

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एन0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
(अपूर्वा होटल, रानीखेत रोड), द्वाराहाट (अल्मोडा)

दूरभाष नं0:— 05966-244171 Email id :- eepmgsydwarahat@rediffmail.com

पत्रांकः— 117/व.भू. /पी0एन0जी0एस0वाई0/2019 दिनांकः— 04.02.2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा :— **प्रभागीय वनाधिकरी,अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा**

विषयः— **जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.153 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— **भारत सरकार, प्रर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/55/2015/एफ0सी/1339(a) दिनांक 28.09.2018 एवम् कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरा नगर देहरादून का पंत्राक 1006/ /2015 देहरादून दिनांक 10 अक्टूबर, 2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत जपनद अल्मोडा में भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही हैं–

1. **(शर्त संख्या–1)** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 18.31 हैक्टेयर भूमि ग्राम कनौली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवम उसके 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 5102356.00 (रू0 इक्कावन लाख, दो हजार, तीन सौ छप्पन मात्र) प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वर्तमान दरों पर निर्गत डिमान्ड नोट के अनुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर उत्तरांचल कैम्पा कारपोरेशन बैंक लोधी कॉम्पलैक्स ब्रांच लोधी रोड दिल्ली में जमा कर दिया गया है। ऑनलाईन चालान (संलग्नक 1) तथा ऑनलाईन भुगतान प्रति (संलग्नक 2) संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित भूमि 18.31 है0 ग्राम कनौली सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश संख्या 4281/ग्यारह–27/2014–15 दिनांक 13 मार्च, 2015 द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की दी गयी है। आदेश की प्रति संलग्न है (संलग्नक 3)।
2. **(शर्त संख्या–2)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/200/एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का रू0 7734285.00 (रू0 सत्तर लाख, चौतीस हजार, दो सौ पिचासी मात्र) ऑनलाई चालान जनरेट कर उत्तरांचल कैम्पा कारपोरेशन बैंक लोधी कॉम्पलैक्स ब्रांच लोधी रोड दिल्ली में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। ऑनलाईन चालान एवं ऑनलाईन भुगतान रसीद संलग्न है।(संलग्नक 1 एवं 2)
3. **(शर्त संख्या–3)** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों में बढोतरी होने पर अतिरिक्त धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक 4)
4. **(शर्त संख्या–4)** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि ऑनलाईन चालान जनरेट के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा कारपोरेशन बैंक लोधी कॉम्पलैक्स ब्रांच लोधी रोड दिल्ली में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्नक 1 एवं 2)

5. (शर्त संख्या–5) के अनुपालन में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सेन्ट्रल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में स्ट्रिप प्लानटेशन करने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक 5)
6. (शर्त संख्या–6) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल का Geo reference Map & SOI Toposheet Map की मूल प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक 6 एवं 7)
7. (शर्त संख्या–7) के अनुपालन में संशोधित CA Scheme जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत काफल के वृक्ष लगाने का प्राविधान किया गया है, प्रस्तुत किया जा रहा है। (संलग्नक 8)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार – 03 प्रतियों में।

भवदीय,

4/2019

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोडा)

पत्रांकः– 117/व0भू0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2019 दिनांकः– 04.02.2019

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (कु0क्षे0), लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, ज्योलीकोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोडा)

कार्या० प्रमुख - 29.10.18

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1526 /FP/UK/ROAD/12314/2015 :देहरादून:दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०
पंजी० सं०– 1064
फाईल नं०– 9.45
दिनाँक– 29-10-18
द्वाराहाट

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट।

विशयः–जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.153 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की 8बी/यू.सी.पी./06/55/2015/एफ.सी./1339 दिनांक 28–09–2018 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोंक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु–8, उपबिन्दु–क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेगें।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के forestsclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न :–यथोपरि।

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

AE (Sri Sahji)

भवदीय

(मुख्य वन संरक्षक)
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/12314/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। (संलग्नः–यथोपरि)
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (संलग्नः–यथोपरि)

(मुख्य वन संरक्षक)
एवं नोडल अधिकारी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/55/2015/एफ0सी0/1339 दिनांकः 28/09/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : **Diversion of 9.153 ha of forest land for construction of Bhagwati to Timta Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Almora Forest Division District Almora, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12314/2015).**

सन्दर्भ : **ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/12314/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–477/X-4-15/1(270)/2015 दिनांक 27.06.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12314/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 18.09.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 9.153 ha of forest land for construction of Bhagwati to Timta Motor Road in favour of PMGSY within the jurisdiction of Almora Forest Division District Almora, Uttarakhand** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 18.31 है0 ग्राम–कनौली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit the original copy of geo referenced map & SoI toposheet map of proposed area.

7. State Govt. will submit revised CA scheme mentioning species with atleast 10% plantation of Kafal trees.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 18.31 है0 ग्राम–कनौली सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नौडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 194 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

P.C. Attal

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3662 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 01-01-2019

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)।

संलग्नक -1

विषय -- जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.153 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 12314/2015)

संदर्भ -- आपकी पत्र संख्या 1130/ 13सी/पी0एम0जी0एस0वाई0/2018/दिनांक 20.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	9.153 है0	845000.00 प्रति है0	7734285.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	9.153 X 2=18.306 OR 18.31	278665.00 प्रति है0	5102356.00
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	—	—	—
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	—	—	—
5	100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	—	—	—

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संलग्नक -1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-01-2019

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6112314544
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/55/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY DIV. PWD. DwarahatAlmora
Amount(in Rs)	12836641/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Eight Lakh Thirty-Six Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150896112314544** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-01-2019

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6112314544
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/55/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY DIV. PWD. Dwarahat Almora
Amount(in Rs)	12836641/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Eight Lakh Thirty-Six Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150896112314544** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

संलग्नक -2

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/12314/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/12314/2015) Construction of Bhagwati to Timta Motor Road under PMGSY, length 15.90 km. in Dist. Almora, Legislative assembly area Dwarahat.	ROAD123142015544	6112314544	28 Sep 2018	**CA:** 5102356/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 7734285/-, **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **Total :** 12836641/-	Paid	**Fund Demand Verified by** :11 Jan 2019 **Nodal Officer On** **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :14 Jan 2019 **Transaction Date** :25 Jan 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11131291212RQAE6timtademandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD123142015544)
2	FP/UK/ROAD/5073/2013 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/5073/2013) MANIYACHANA BHANTI MOTAR ROAD	ROAD50732013542	6150730542	17 Feb 2016	**CA:** 1304709/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1978145/-, **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **Total :** 3282854/-	Paid	**Fund Demand Verified by** :24 Sep 2018 **Nodal Officer On** **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :28 Sep 2018 **Transaction Date** :14 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9111312471214UHZWS790.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD50732013542)
3	FP/UK/ROAD/10904/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10904/2015) Construction of Ghapani to Dadhuli Motor Road under PMGSY.	ROAD109042015917	6110904917	08 Feb 2016	**CA:** 1674776/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1974285/-, **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **NA :** 0/- **Total :** 3649061/-	Paid	**Fund Demand Verified by** :22 Jul 2018 **Nodal Officer On** **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :26 Jul 2018 **Transaction Date** :31 Jul 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7112112301211QJTM8GhapaniDemandNote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD109042015917)

Attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

संलग्नक -3

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड, चौखुटियॉ मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भगोती से टिम्टा तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के सापेक्ष सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के सबंध मे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट के पत्रांक 07/व.भू./पी0एम0जी0एस0वाई0, दिनांक 14–01–2015 के द्वारा क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेख जिसमे प्रस्तावित भूमि का वन विभाग/राजस्व विभाग/याचक विभाग के द्वारा किये गये स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या, प्रस्तावित भूमि की खतौनी, मौका खसरा, पटवारी रिर्पोट, मौका नक्शा एवं प्रारूप–2 पर आख्या अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि ग्राम–तल्ली–कनोली, पटवारी क्षेत्र–भगोती, तहसील–चौखुटियॉ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–38 की श्रेणी–9(3)ड़, ''बंजर काबिल आबाद'' के प्रस्ताव मे संलग्न खतौनी/खसरा मे उल्लिखित पैमायशी खेत नम्बर खेत न0–1543, 1545, 1547, 1548, 1584, 1627, 1689, 1690, 1692, 1695 2992, 2993, 2994, 2997, 2999, एवं 3001 मध्ये कुल–18.306 हैक्टयर सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है, उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित की जाती है । तहसीलदार, चौखुटियॉ कृ0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद किया जायें, अमलदरामद के उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 4201 /ग्यारह–27/2014–15, दिनांक: 13 मार्च, 2015

प्रतिलिपि–निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रानीखेत ।
2– अधिशासी अभियन्ता, (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट
3– उप जिलाधिकारी, चौखुटियॉ ।
4– तहसीलदार, चौखुटियॉ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

पत्रावली मे संलग्न करें

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

10.03.15
(विनोद कुमार सुमन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

गैर ज०वि० खतौनी नकल ग्राम- तल्ली कनौली पटवारी क्षेत्र भगोती तहसील- चौखुटिया जिला - अल्मोड़ा

श्रेणी 9 (3) ड० अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता सं०	काश्तकार का नाम	क्रमांक	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण संलग्नक -3
38	श्रेणी 9 (3) ड० बंजर काबिल आबाद		2	0.282		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश सं० 4281/ग्यारह 27/2014-15 दि० 13.3.15 के खेत सं० 1543, 1545, 1547, 1548 1584, 1627, 1689, 1690, 1692, 1695, 2992, 2993 2994, 2997, 2999 एवं 3001, मध्ये कुल 18.306 है० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में किये जाने का अमलदरामद किया
			11	0.101		
			14	0.303		
			28	0.237		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			1064	0.005		
			1144	0.009		
			1179	0.011		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			1543	0.165		
			1545	0.139		
			1547	0.445		
			1548	0.536		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			1584	0.076		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			1627	2.175		
			1641	0.029		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			1690	3.774		
			1692	3.791		
			1695	0.465		
			क्रमशः:	क्रमशः:		
			2992	1.327		
			2993	1.590		
			2994	0.821		
			2997	1.254		
			2999	0.434		
			3001	1.818		हस्ताक्षर अ०
			3003	0.270		रा० उ० नि०
			क्रमशः:	क्रमशः:		भगोती
			3254	0.089		दि 8-4-15
			3258	0.029		
			3263	0.070		
			3264	0.029		
	योग →		234	41.488		

महोदय

गैर ज०वि० ख० ग्राम तल्ली कनौली की असल खतौनी से नकल खतौनी तैयार की गई

रा० उ० नि०
भगोती

संलग्नक-5

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की बढोत्तरी होने पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में यथासमय कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट

संलग्नक –5

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कराया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, द्वाराहाट

संलग्नक - 6

Annexure - 2

जीयोरेफेरेन्स मैप – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड में भगवती से टिम्टा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 18.306)

कनौली सिविल

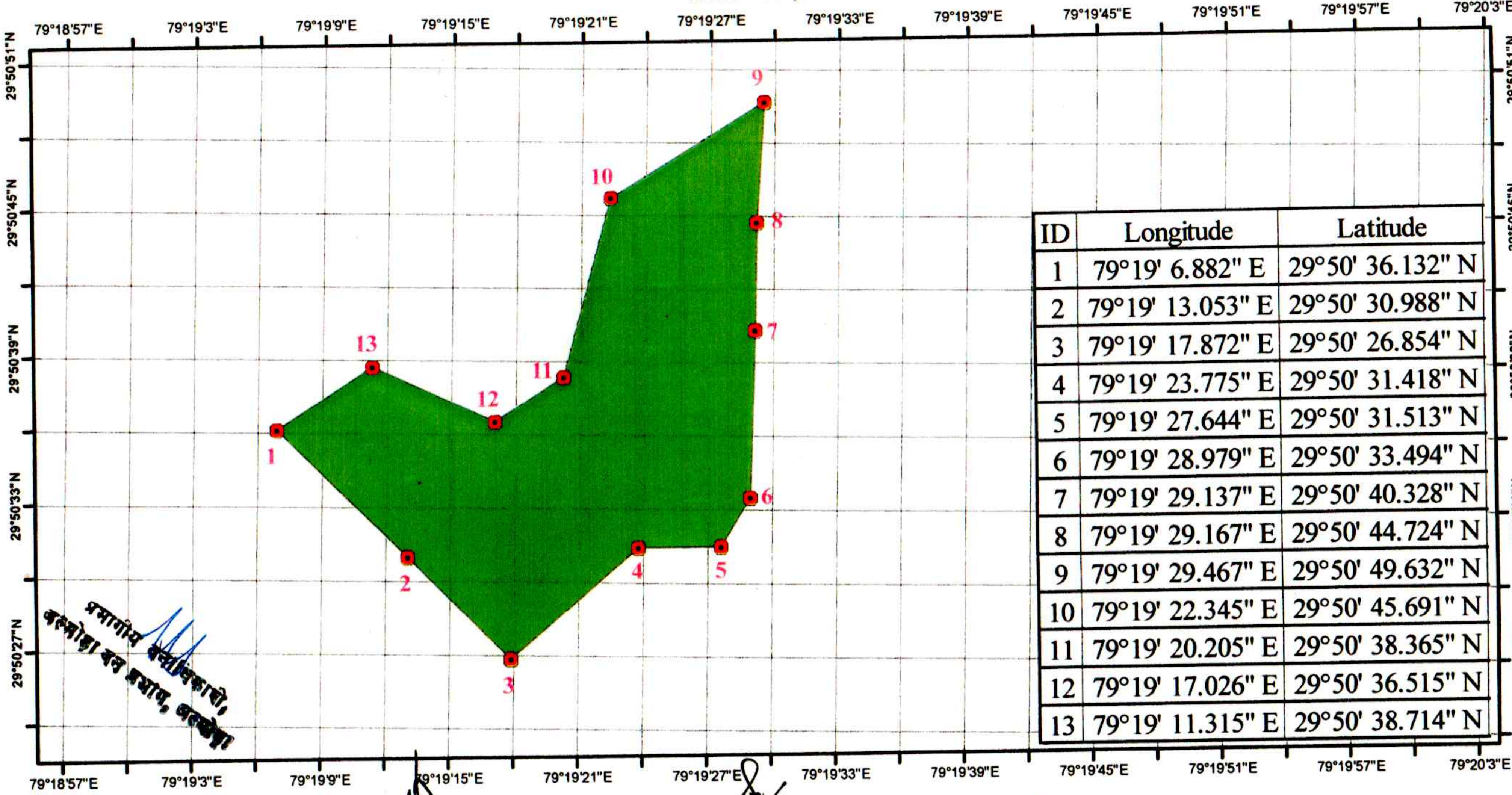

ID	Longitude	Latitude
1	79°19' 6.882" E	29°50' 36.132" N
2	79°19' 13.053" E	29°50' 30.988" N
3	79°19' 17.872" E	29°50' 26.854" N
4	79°19' 23.775" E	29°50' 31.418" N
5	79°19' 27.644" E	29°50' 31.513" N
6	79°19' 28.979" E	29°50' 33.494" N
7	79°19' 29.137" E	29°50' 40.328" N
8	79°19' 29.167" E	29°50' 44.724" N
9	79°19' 29.467" E	29°50' 49.632" N
10	79°19' 22.345" E	29°50' 45.691" N
11	79°19' 20.205" E	29°50' 38.365" N
12	79°19' 17.026" E	29°50' 36.515" N
13	79°19' 11.315" E	29°50' 38.714" N

Legend

- Ca Point
- CA Land 18.306 Ha.

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

J.E.

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
लो0नि0वि0 द्वाराहाट
जनपद-अल्मोड़ा

डिजिटल मैप – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड में भगवती से टिम्टा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 18.306)

कनौली सिविल

0 0.5 1 1.5 Km

बिन्दु सं०-1

1 : 50,000

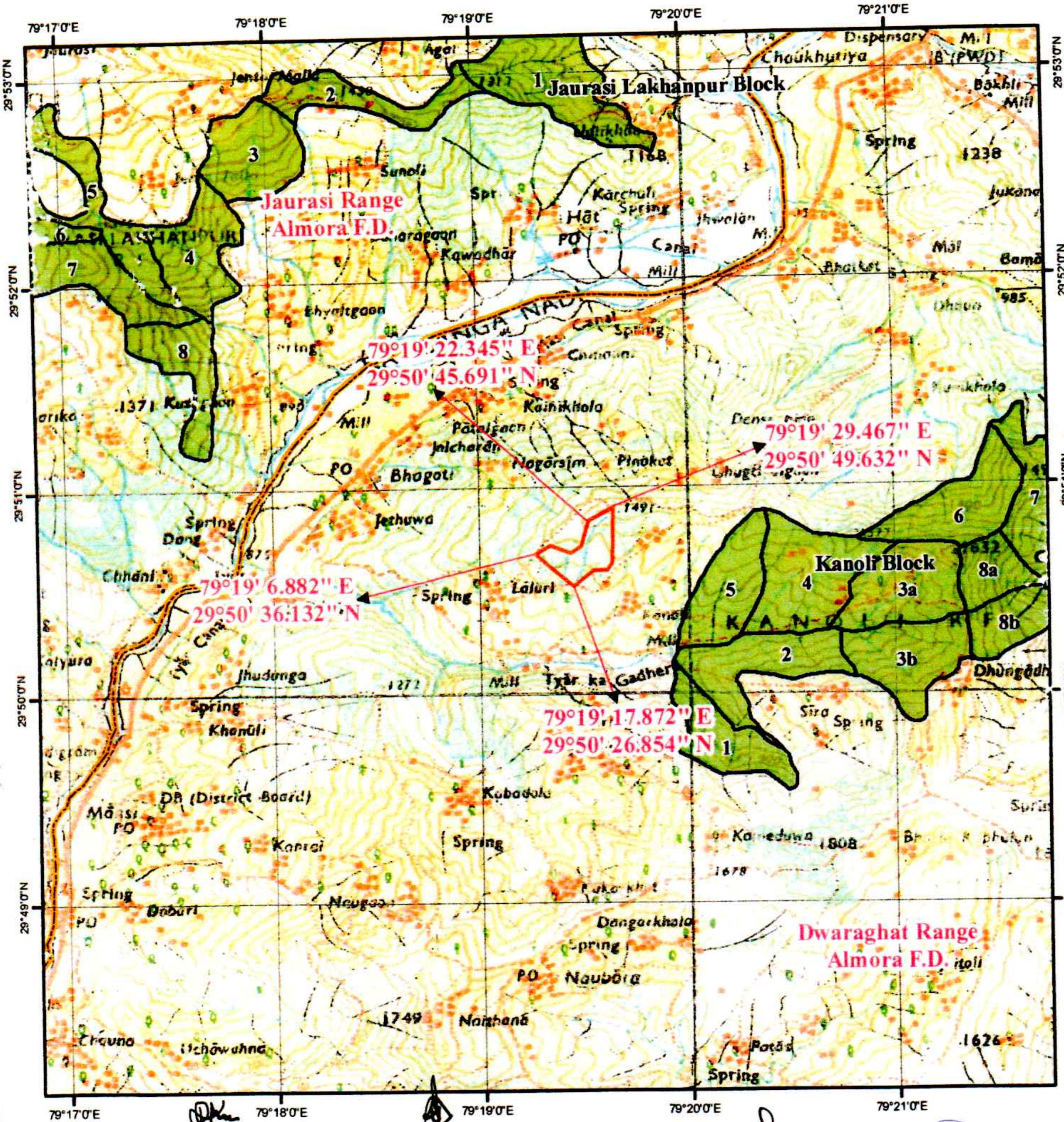

Legend

J.E

- Proposed Plantation
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाइ० खण्ड
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाइ० खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट
जनपद- अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई के अर्न्तगत भगवती से टिम्टा मोटर मार्ग का निर्माण।

वृक्षारोपण स्थल का नामः– कनौली सिविल, तहसील चौखुटिया कुल वन भूमिः– 9.153 हे0 संलग्नक – 8

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः– 1100 पौध प्रति हे0 कुल क्षेत्रफल– 1×2×9.153=18.31 हे0

क्र.स.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू.)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमाकंन	18.310	प्रति है0	97.00	1776.07
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	18.310	प्रति है0	684.00	12524.04
3	भूमि एवं जलसंरक्षण कार्य @204/- श्रमिक दर (10 हैक्टेयर को आधार मानकर) 15 वान0 चैकडैम x 8550= Rs 128250.00 15 स्टोन चैकडैम x 25000= Rs 375000.00 15 वाटरहार्वेस्टिंग टैंक x 8550= Rs 128250.00 औसत साईज (3.00x2.50x1.00 mt) कुल योग रू0 = Rs. 631500.00 प्रति है0 व्यय रू0 63150.00 या Rs. 63150.00	18.310	प्रति है1	63150.00	1156276.50
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) प्रति है0 84 घन0मी0 औसत	1538.04	प्रति घन मी0	315.00	484482.60
5	कन्टूर फर्रो कार्य (प्रति है0 600 र0मी0)	10986.00	प्रति मी0	7.33	80527.38
6	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45)	20141.00	प्रति गढढा	7.33	147633.53
7	निरीक्षण बटिया बनना	18.31	प्रति है0	485.00	8880.35
8	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	20141.00	प्रति पौध	5.89	118630.49
8	अन्य व्यय जैसे गढढों की गिनती/दिवाल नपत हेतु चूना क्रय करना, वर्षा जल संग्रहण के लिए पानी संचय करने हेतु ढाल के अनुसार छोटी नालियॉ बनाना आदि।	18.310	प्रति है0	1700.00	31127.00
	योग – प्रथम चरण				**2041857.96**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	20141.00	प्रति पौध	1.15	23162.15
5	कन्टूर फर्रो में बीज बुअीई कार्य (प्रति है0 600 र0मी0)	10986.00	प्रति मी0	0.69	7580.34
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	20141.00	प्रति पौध	1.15	23162.15
3	पौध ढुलान कार्य (25% नंगी तथा 75% बैग पौध रोपण तथा 25 किमी0 वाहन व 3 किमा0 सिर बोझ औसत पर।	20141.00	प्रति पौध	6.39	128700.99
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	20141.00	प्रति पौध	2.06	41490.46
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	20141.00	प्रति पौध	0.76	15307.16
6	रासायनिक खाद व दवा पर व्यय	20141.00	प्रति पौध	0.21	4229.61
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	18.310	प्रति है0	8768.00	160542.08
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनषील पदार्थों का कटाना, हटाना प्रति है0	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ– प्रशिक्षण	18.310	प्रति है0	800.00	14648.00
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	18.310	प्रति है0	2100.00	38451.00
	कुल योग				**475126.19**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				**2516984.15**

विन्दु सं०-2

क्र.स.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू.)	योग
1	2	3	4	5	6
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(9960X12 माह) / 10है = 11952.00	18.310	प्रति है0	11952.00	218841.12
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
3	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2100.00	38451.00
	योग – तृतीय चरण				**286313.47**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(9960X12 माह) / 10है = 11952.00	18.310	प्रति है0	11952.00	218841.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
3	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2200.00	40282.00
	योग – चतुर्थ चरण				**288144.47**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(10960X12 माह) / 10है = 13152.00	18.310	प्रति है0	13152.00	240813.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2300.00	42113.00
	योग – पंचम चरण				**314947.47**
	छठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(10960X12 माह) / 10है = 13152.00	18.310	प्रति है0	13152.00	240813.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50

क्र.स.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू.)	योग
1	2	3	4	5	6
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2300.00	42113.00
	योग – छठम चरण				**311947.47**
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(11960X12 माह) / 10है = 14352.00	18.310	प्रति है0	14352.00	262785.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2400.00	43944.00
	योग – सप्तम चरण				**335750.47**
	अष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(11960X12 माह) / 10है = 14352.00	18.310	प्रति है0	14352.00	262785.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.00	11169.10
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.00	7324.00
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2400.00	43944.00
	योग – अष्ठम चरण				**335750.47**
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(12960X12 माह) / 10है = 15552.00	18.310	प्रति है0	15552.00	284757.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.000	11169.100
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.000	7324.000
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2400.000	43944.000
	योग – नवम चरण				**357722.47**

निर्दे सं०-2

क्र.स.	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू.)	योग
1	2	3	4	5	6
	दसम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(12960X12 माह)/10है = 15552.00	18.310	प्रति है0	15552.00	284757.12
2	2.1–वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को कटाना, हटाना				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	18.310	प्रति है0	350.00	6408.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मी. पट्टी साफ करना	18.310	प्रति है0	225.00	4119.75
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रषिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्सान देना				
	अ–प्रषिक्षण	18.310	प्रति है0	610.000	11169.100
	ब–प्रोत्साहन	18.310	प्रति है0	400.000	7324.000
	अन्य कार्य	18.310	प्रति है0	2404.000	~~43944.000~~ 44017.24
	योग – दसम चरण				~~357722.47~~ 357795.71
	कुल व्यय				~~5102282.91~~ 5102356.15

Say = 5102356.00

Rs 5102356

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0. द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई खण्ड
लो०नि०वि० द्वाराहाट
जनपद–अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Divisional Forest Officer,
Almora Forest Division Almora